

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2011—वैशाख 9, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. एफ. ए-3-14-2010-1-पांच(40).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 8 के उपनियम (4-ख) तथा नियम 23-क के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.-ए-3-14-2010-1-पांच(34), दिनांक 11 अप्रैल 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक और शब्द “1 अक्टूबर, 2010” के स्थान पर, अंक और शब्द “1 अप्रैल, 2011” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच(40), दिनांक 29 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th April 2011

F. No. A-3-14-2010-1-V(40).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4-B) of rule 8 and sub-rule (2) of rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby makes the following amendment in this department's notification No. F-A-3-14-2010-1-V(34), dated 11th April 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the figures and word “1st October, 2010”, the figures and word “1st April, 2011” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. एफ. ए-3-14-2010-1-पांच(41).—मध्यप्रदेश विक्रयकर (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम, 7-क के उपनियम (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 23-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.-ए-3-14-2010(35), दिनांक 11 अप्रैल 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक और शब्द “ 1 अक्टूबर, 2010” के स्थान पर, अंक और शब्द “1 अप्रैल, 2011” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच(41), दिनांक 29 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th April 2011

F. No. A-3-14-2010-1-V(41).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 7-A of the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957 read with rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby makes the following amendment in this department's notification No. F-A-3-14-2010(35), dated 11th April 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the figures and word “1st October, 2010”, the figures and word “1st April, 2011” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. एफ.-ए-3-14-2010-1-पांच(42).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 के नियम 8-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.-ए-3-36-2010-1-पांच(36), दिनांक 11 अप्रैल 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक और शब्द “1 अक्टूबर, 2010” के स्थान पर, अंक और शब्द “1 अप्रैल, 2011” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-14-2010-1-पांच(42), दिनांक 29 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th April 2011

F. No. A-3-14-2010-1-V(42).—In exercise of the powers conferred by rule 8-A of the Madhya Pradesh Shaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, the State Government, hereby makes the following amendment in this department's notification No. F-A-3-36-2010-1-V(36), dated 11th April 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the figures and word “1st October, 2010”, the figures and word “1st April, 2011” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.